एसोसिएशन यूनियन के लोग मिलने आये थे। श्री रवीन्द्र वर्मा से और उस वक्त की बातचीत में यह कबूल किया गया था कि यह साल 25वां है ई० एस० आई० का इसलिये ऐक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट दिया जायगा। यह कबूल किया इसलिये उन्होंने अपना आन्दोलन वापस लिया। लेकिन 6 महीने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी इसलिये स्ट्राइक करने के लिये वह लोग तुले हुए हैं। क्या यह बात सही है ?

डा० राम कृपाल सिंह : यह सही नहीं है कि सरकार ने कबूल किया कि एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट दिया जायगा। विचार किया जायगा यह कहना अलग है और दिया जायगा यह कहना अलग है।

अनधिकृत कारखानों द्वारा ऐनकें और धूप के चश्मे बनाया जाना

*268 **श्री रामलाल राही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक स्थानों पर अप्रशिक्षित व्यक्ति और अनधिकृत कारखाने नजर की ऐनकें, धूप के चश्मे और अन्य चश्मे बनाने का काम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक रोग फल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि देश में कितने व्यक्ति और फर्में अनधिकृत रूप से ऐनकें और धूप के चश्मे बनाते हैं और अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष कितने चश्मे बनाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक संस्थान ने ऐनकों के शीशों तथा धूप के चश्मों के शीशों के लिए कुछ मानक (स्पेसिफिकेशन) निर्धारित किए हुए हैं। आंखों के लिए बनाई जाने वाली चीजों पर भारतीय मानक संस्थान की छाप लगी रहना अनिवार्य बनाने और नेत्रों के लिए बनने वाली चीजों के व्यवसाय और ऐसे व्यक्तियों की प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि ऐनकें सुरक्षित ढंग से बनें और यह देखा जा सके कि लोगों को सही ऐनकें मिल रही हैं।

(ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामलाल राही : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस बात की तरफ सरकार का या स्वास्थ्य विभाग का ध्यान कब गया कि अप्रशिक्षित व्यक्ति और अनधिकृत कारखाने नजर की ऐनकें और धूप के चश्मे बनाने का कार्य कर रहे हैं ? जब से सरकार का ध्यान इस तरफ गया है तब से अब तक क्या इसकी रोकथाम के कोई उपाय किये गये हैं ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कुछ फर्मों ने, जो कि नजर और धूप के चश्मे व शीशे बनाने का कार्य करती हैं, 2, 4 साल पहले ऐसा कोई आवेदन दिया था कि अनधिकृत कारखाने और अप्रशिक्षित व्यक्ति जो इस काम को कर रहे हैं, उन पर कोई रोक लगाई जाये ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक आवेदन-पत्र की बात है, उसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है, मैं उसे देख लूंगा।

जहां तक अप्रशिक्षित व्यक्ति और अयोग्य व्यक्ति गलत चश्में शीट ग्लास के बनाते हैं, उसको रोकने के लिये सरकार के पास कोई कानून नहीं है, इसलिये हमने कहा है कि जो भी व्यक्ति बनाय, उचित

ग्लास से चश्मे बनावें, इसके लिये एक कानून बनाया है जो ला विभाग से चल कर अब योजना आयोग में है । हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि कोई कानून हाथ में आवे जिससे इस गलत कार्य को रोक सकें और लोगों की आंखों को नुकसान होने से बचाया जा सके ।

श्री रामलाल राही : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि भारतीय मानक संस्थान ने ऐनकों के शीशे तथा धूप के चश्मों के शीशे बनाने के लिये कुछ मानक निर्धारित किये हैं, क्या वह इनका पूरा ब्यौरा बतलायेंगे?

क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि जो अप्रशिक्षित व्यक्ति अनधिकृत कारखानों में शीशे बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके और जहां खराब शीशे बनाये जाते हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ?

क्या मंत्री जी का नजर और धूप के शीशे बनाने की ट्रेनिंग देने के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कहां पर और कब तक खोलने का विचार है ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि धूप व नजर के चश्मों के शीशे बनाने के लिये क्या विशेष प्रकार के शीशों का इस्तेमाल होता है ? यदि हां, तो यह शीशे कहां-कहां और कौन-कौन से कारखाने बनाते हैं? जहां कारखानों में ये शीशे बनाये जाते हैं, क्या वहां पर इनकी देखभाल की जाती है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक शीशों के उत्पादन का सवाल है, वह इंडस्ट्री का सवाल है, हमारे विभाग से संबंधित बात नहीं है । हम ऐसा कानून बना रहे हैं जिसके अन्तर्गत चश्मों के शीशे औपथलमिक ग्लास से ही बनें और शीट ग्लास के शीशे बनने से जो लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, उसको रोक सकें । जब तक कानून नहीं होगा, इसको रोक नहीं सकेंगे । इसलिये हम चाहते हैं कि कानून बन जाये । इसमें दो बातें होंगी एक तो रजिस्टर्ड और टक्निकल आदमी ही आंखों के शीशे बनायें और दूसरे औपथैलमिक ग्लास से ही शीशे बनें । जब तक यह कानून नहीं आता तब तक इसे रोका नहीं जा सकता है । इस समय जो लोग काम कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के वक्त देख लेंगे कि कौन उपयुक्त पात्र है ।

SHRI SHAMBU NATH CHATURVEDI: By the time the new legislation comes into force and so long as the present state of affairs continues how many people are expected to lose or damage their eyes sight?

MR. SPEAKER: That is not a question which he can answer.

Pakistan's attempt to develop Asian Treaty Organisation

*269. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the attempts of Pakistan to develop an Asian Treaty Organisation in co-operation with China, Bangladesh and other Gulf States; and

(b) if so, reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI YADVENDRA DUTT: From the answer of the Hon. Minister it seems that his attention has not been drawn to certain attempts by powers who are not well-disposed towards us to develop a market of their own so as to isolate our economic interests by giving each other preference for